

कार्यालय – जनपद न्यायाधीश, बाँदा।
ठेका की नीलामी की सार्वजनिक सूचना


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित दुकानों की वित्तीय वर्ष 2026–2027 (दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027) की अवधि हेतु नीलामी बोली पृथक –पृथक नजारत, जिला जजी, बाँदा में दिनांक 24.03.2025 को सायं 4.30 बजे से निम्नानुसार होगी:-

क्रमांक	दुकान का प्रकार (जजी परिसर)	जमानत धनराशि	बोली का समय
1	साइकिल स्टैंड	रु 35000 /-	सायं 4.30 बजे से
2	फोटोकापी शाप	रु 18500 /-	सायं 4.30 बजे से
3	क्विक कैमरा	रु 20500 /-	सायं 4.30 बजे से
4	कैप्टीन बहुखण्डीय भवन	रु 24000 /-	सायं 4.30 बजे से

क्रमांक	दुकान का प्रकार (बाह्य न्यायालय बबेरु)	जमानत धनराशि	बोली का समय
1.	कैप्टीन	रु 3700 /-	सायं 4.30 बजे से
2.	साइकिल स्टैंड	रु 2000 /-	सायं 4.30 बजे से

- बोली बोलने वाले को बोली से पूर्व उपरोक्तानुसार पृथक-पृथक नकद जमानत धनराशि जमा करनी होगी, जो बोली समाप्त होने के पश्चात स्वीकृत बोली के अतिरिक्त, शेष बोली बोलने वालों को लौटा दी जायेगी।
- बोली स्वीकृत होने की दशा में, स्वीकृत बोली की 1/4 राशि उसी समय नकद जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि तय किरतों में देय होगी। संन्दर्भित बोली बोलने वाले व्यक्ति/संस्था को ठेका प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र दो दिन के अन्दर निष्पादित करना होगा।
- बोली बोलने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान हेतु आधार कार्ड और पैन कार्ड लाना अनिवार्य है।
- बोली बोलने वाला व्यक्ति बकायेदार व काली सूची के अर्न्तगत न आता हो।
- जल एवं विद्युत व्यवस्था, ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
- खाद्य सामग्री की बिक्री विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित मात्रा व दरों पर ही करना अनिवार्य होगी।
- कैप्टीन व न्यायालय परिसर में पान, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा तथा पान मसाला आदि की बिक्री पूर्णतः वर्जित है।
- बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने व नीलामी की तिथि स्थगित करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा। नीलामी से सम्बन्धित अन्य जानकारी केन्द्रीय नाजिर जिला जजी, बाँदा से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक :-


 अध्यक्ष, नीलामी / बोली समिति /
 अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश (अ०नि०ए०),
 बाँदा।